गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच अहम बैठक

गोरखा मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने के लिए समिति गठित

मंथन

सिलीगुड़ी, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच शनिवार को एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसमें केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ियों के क्षेत्रों में गोरखा पहचान के मुद्दे के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए एक समिति का गठन किया। यह समिति अंतिम समझौते का मसौदा तैयार करेगी।

अधिकारियों के मुताबिक, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और पूर्व महानिदेशक (बीएसएफ) पंकज कुमार सिंह समिति का नेतृत्व करेंगे। दार्जिलिंग के सुकना में आयोजित बैठक का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और संविधान के दायरे में उन्हें मान्यता देने के लिए भाजपा द्वारा वादा किए गए समाधान का रोडमैप खोजना था। बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह ने की। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुंग, वरिष्ठ नेता रोशन गिरि और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख मान घिसिंग मौजूद रहे।

सरकारी वार्ताकार हैं पंकज : पूर्व महानिदेशक (बीएसएफ) पंकज कुमार सिंह वर्तमान में इस मुद्दे पर सरकारी वार्ताकार हैं और 2023 से 2025 तक देश के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। यह समिति पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए भारतीय संविधान के तहत एक अंतिम समझौते का खाका तैयार करेगी। अधिकारियों के मुताबिक, सिंह की भूमिका राजनीतिक संवाद का नेतृत्व करने और गोरखा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करने पर केंद्रित है।

सिलीगुड़ी में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गोरखा समुदाय के सांसदों, विधायकों समेत अन्य नेताओं ने बैठक के दौरान सम्मान किया। ● एएनआई

कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पहाड़ी आबादी से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें एक अलग पहचान, स्थायी राजनीतिक समाधान और भारत के संविधान के तहत मान्यता से जुड़ी उनकी मांगों पर विचार किया गया। शाह ने जल्द ही संविधान के दायरे में स्थायी राजनीतिक समाधान का आश्वासन दिया है।

पूर्व सरकारों पर निशाना

भाजपा के दार्जिलिंग सांसद राजू बिस्टा ने कहा कि पहाड़ी समुदायों के संघर्ष का इतिहास चार दशकों से अधिक का है। पिछली वामपंथी और टीएमसी सरकारों ने पहाड़ी लोगों की आकांक्षाओं को कुचल दिया। बिस्टा ने कहा कि बैठक में अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधियों ने अपनी चिंताएं और उम्मीदें रखीं।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा का जायजा लिया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल और केंद्रीय बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा का जायजा लिया गया और मुख्य रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकेन नेक) पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य सीमा पर निगरानी बढ़ाना था।

दार्जिलिंग के राजनीतिक समाधान पर बातचीत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पर्वतीय नेताओं के साथ बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में संवैधानिक ढांचे के तहत दार्जिलिंग पहाड़ियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के स्थायी राजनीतिक समाधान तलाशने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे।

नए राजमार्गों की गुणवत्ता और सुरक्षा का ऑडिट होगा

फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हाल में उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सुरक्षा और क्वालिटी से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत बड़ी परियोजनाओं का स्वतंत्र ऑडिट और हाईवे को यातायात के लिए खोले जाने के बाद सघन निरीक्षण होगा।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों के अनुभवों के आधार पर मौजूदा प्रोटोकॉल की समीक्षा के बाद उठाया गया है। दरअसल, अप्रैल में उद्घाटित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर भारी बारिश के बाद गड्ढे, दरारें और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई थीं। एनएचएआई ने कहा कि यह नया नियम अक्तूबर, 2025 में जारी किए गए पिछले नियम की जगह लेगा। जारी सर्कुलर के अनुसार, टीमों को ऐसे बड़े आयोजनों के बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

नई गाइडलाइंस के तहत महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सख्त निगरानी की जाएगी। इसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, हाई-स्पीड कॉरिडोर, विशेष परियोजनाएं और 2,500 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं शामिल हैं।

हर हफ्ते निरीक्षण

हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोले जाने के बाद शुरुआती छह महीनों तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसमें शुरुआती तीन महीने तक ठेकेदार और और सुपरविजन कंसलटेंट के टीम लीडर द्वारा हर हफ्ते संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद अगले तीन महीने तक यह निरीक्षण हर 15 दिन में एक बार होगा।

400 से अधिक मामले सुलझाए

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित विशेष लोक अदालत ने अपने पहले ही दिन 400 से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया। यह आयोजन देशव्यापी अभियान 'समाधान समारोह 2026' के हिस्से के रूप में किया जा रहा है।

देश 30s

गुजरात में जहरीली शराब से 11 की मौत

भावनगर। गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या शनिवार को 11 हो गई। इलाज के दौरान तीन और लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। जिला प्रशासन ने बताया कि 36 वर्षीय हार्दिक किलजी और 54 वर्षीय अविनाश परमार की मौत भावनगर सिविल अस्पताल में हुई, जबकि संजय डोडिया की मौत सूरत के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई।

रियायती स्वैप सुविधा से 73 अरब डॉलर आए

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शनिवार को कहा कि विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई उसकी रियायती स्वैप सुविधा के तहत 21 अगस्त तक लगभग 73 अरब डॉलर देश में आए। कुल विदेशी मुद्रा प्रवाह में विदेशी मुद्रा प्रवासी (बैंक) यानी एफसीएनआर (बी) जमा के जरिये 65.397 अरब डॉलर आए। वहीं, विदेशी मुद्रा में विदेशी उधारी (ओएफसीबी) से 4.86 अरब डॉलर और बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) से 2.591 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ।

वाहन का ईंधन टैंक फटा, चार की जान गई

कच्छ (गुजरात)। कच्छ जिले में एक कबाड़ गोदाम में व्यावसायिक वाहन का ईंधन टैंक फटने से एक परिवार के दो बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई। घटना दोपहर में नखत्राणा क्षेत्र में हुई। पुलिस निरीक्षक एएम पटेल ने बताया कि नखत्राणा में एक छोटे वाणिज्यिक वाहन के डीजल टैंक में हुए धमाके में दो बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान मोहम्मद इलियास, नूर मोहम्मद इलियास, हुसैन मोहम्मद और तीन वर्षीय नूर फातिमा के रूप में हुई है।

चवन्नी को रुपया बनाने के बयान पर सियासत गरम

संग्राम

- मायावती ने सपा पर अवसरवादी होने के आरोप लगाए
- अखिलेश बोले-गठबंधन नहीं तोड़ते, लोग छोड़कर चले जाते हैं

लखनऊ/मेरठ, हिन्दुस्तान टीम। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे-वैसे राजनीतिक महौल गर्माता जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के चन्नवी का रुपये बनाने के दिए गए बयान से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उनके बयान के जाटों के स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है।

यह विवाद 16 अगस्त को अखिलेश के उस बयान के साथ शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा हमने सहयोगियों को बढ़ाया, लेकिन वे पाला बदल गए। हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी वे छोड़कर चले गए। जयंत चौधरी ने अखिलेश के इस बयान को जाटों का अपमान बताते हुए कहा कि, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते। कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना एबीसीडी हमने सिखाई है। मैं इस अहंकार को करीब से देख चुका हूं। ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। अखिलेश और जयंत के जवाबी हमले के बीच शनिवार को मयावती ने एंट्री मारते हुए तीखा हमला किया। उन्होंने सपा प्रमुख के बयान को अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक बताते हुए उन्हें पूरे जाट समाज से माफी मांगने की नसीहत दी है। मायावती ने सपा को सिर्फ एक जाति के अलावा बाकी पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और ब्राह्मणों का हितैषी न होने के आरोप लगाए हैं।

गेस्ट हाउस कांड और गठबंधन की दिलाई याद

मायावती ने सपा को गेस्ट हाउस कांड और 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले गठबंधन की याद दिलाते हुए उसपर गठबंधन में अवसरवादी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के इसी अति अहंकारी स्वभाव के कारण पहले 1993 में मुलायम सिंह यादव के साथ सपा-बसपा का गठबंधन टूटा और बाद में मेरी हत्या के षड्यंत्र के तहत 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ। अखिलेश ने पिता की गलतियां न दोहराने का आश्वासन देते हुए 2019 में गठबंधन किया लेकिन चुनाव बाद गठबंधन तोड़ दिया।

हमारा जो गठबंधन है, वही रहेगा : अखिलेश

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को न केवल मायावती के जवाब बयानों का जवाब दिया बल्कि जाटों के आत्मसम्मान मामले में भाजपा को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सपा किसी को छोड़ती नहीं है। उसे लोग छोड़कर जाते हैं। हमारा जो गठबंधन है वही रहेगा। हमने आरएलडी को 30 सीटें दी थीं, भाजपा चार गुना यानी 120 सीटें दे नहीं तो ये जाट समुदाय और चौधरी चरण सिंह का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि वह और उनका गठबंधन 403-403 सीटों पर तैयारी कर रहा है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। उन्होंने यह भी साफ किया कि हमारा जो गठबंधन है, वही रहेगा। सरकार की तरफ से बुलेटप्रूफ जैकेट देने की बात पर उन्होंने कहा, सरकार ने 10 साल पहले मुझे टूटी गाड़ी दी थी, ये सुरक्षा क्या देंगे?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत पर असर

'चवन्नी' वाले इस बयान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। जहां एक तरफ रालोद इस बयान को जाट समाज के स्वाभिमान से जोड़कर देख रही है, वहीं मायावती का खुलकर जाट समुदाय और जयंत चौधरी के पक्ष में खड़े होना राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तीखे बयानबाजी के दौर से आगामी चुनावों से पहले पश्चिमी यूपी की जातियों और क्षेत्रीय दलों के बीच की राजनीतिक जमीन पर गहरा असर पड़ सकता है।

विमान में खरोंच मिली तो संचालन पर अस्थायी रोक

- 19 अगस्त की है घटना, दिल्ली से गोरखपुर इंडिगो की थी उड़ान

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। गोरखपुर में एयरपोर्ट पर पिछले दिनों इंडिगो 6ई-2381 (दिल्ली-गोरखपुर) विमान की एहतियात के तौर पर दोबारा चक्कर लगाकर (गो-अराउंड) लैंडिंग कराई गई।

यात्रियों के सुरक्षित उतरने के बाद विमान के एपीयू इनलेट के पास खरोंच के निशान पाए गए। इसके बाद विमान के उड़ान भरने पर अस्थाई रोक लगा दी गई है। मरम्मत और सभी जरूरी जांचें पूरी होने के बाद उड़ान की मंजूरी मिलेगी। इस घटना के चलते गोरखपुर-दिल्ली 6ई-5013 की अगली उड़ान पांच घंटे की देरी से हुई।

यह घटना 19 अगस्त की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार इंडिगो 6ई-2381 की फ्लाइट गोरखपुर में लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी क्रू ने सुरक्षा के लिहाज़ से शुरुआती लैंडिंग टालने और स्टैंडर्ड 'गो-अराउंड' प्रक्रिया अपनाने का फ़ैसला किया। विमान ने अपनी स्थिति बदली और दोबारा चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्री व क्रू बिना किसी घटना के सामान्य रूप से विमान से बाहर आ गए।

विमान को पूरी जांच के लिए मेंटिनेंस में रखा गया : उसके बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पर रूटीन जांच के दौरान मेंटिनेंस क्रू ने विमान के पिछले हिस्से में मौजूद ऑक्सिलरी पावर यूनिट (एपीयू) इनलेट के पास हल्की खरोंचें देखीं। इसकी जानकारी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (डीजीसीए) को भी दी गई। विमान को पूरी जांच और मरम्मत के लिए मेंटिनेंस में रखा गया। ज़रूरी टेक्निकल मंज़ूरी मिलने के बाद यह कॉमर्शियल ऑपरेशन फिर से शुरू करेगा।

उड़ान के दौरान गलत जानकारी दी

कोच्चि, एजेंसी। स्पाइसजेट पर उड़ान के दौरान मौसम को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगा है। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (सीआईएएल) ने शनिवार को कहा कि कोच्चि में मौसम खराब होने जैसी प्रतिकूल स्थिति नहीं थी, जिससे स्पाइसजेट की उड़ान सेवाएं प्रभावित हों।

दरअसल, विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने एक्स पर शनिवार सुबह 6.02 बजे जारी पोस्ट में कहा कि कोच्चि में खराब मौसम के कारण सभी प्रस्थान, आगमन और उनकी आगे की उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। कंपनी ने यात्रियों से अपनी उड़ानों की स्थिति जानने के लिए स्पाइसजेट की आधिकारिक वेबसाइट देखने का अनुरोध किया था।

सीआईएएल ने यात्रियों के लिए जारी एक परामर्श में कहा कि उसने स्पाइसजेट की परिचालन को लेकर जारी समस्याओं पर ध्यान दिया है, जिससे इसकी अंतरराष्ट्रीय सेवाओं पर प्रभाव पड़ा है। इसमें कोच्चि से रवाना होने वालीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। सीआईएएल ने कहा, स्पाइसजेट ने भ्रामक जानकारी प्रसारित की है।

मदद के लिए एहतियाती कदम : स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बयान जारी किया कि यह एडवाइजरी एक एहतियाती कदम थी, जिसका मकसद यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने और मौजूदा मौसम की स्थितियों को देखते हुए पहले से जरूरी इंतजाम करने में मदद करना था।

नर्सिंग आयोग पर दो माह में फैसला लेने का निर्देश

अदालत से

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी (दाईखाना) आयोग (एनएनएमसी) के गठन में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दो महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन (आईपीएनए) की याचिका को ही केंद्र के समक्ष उसका प्रतिवेदन मानते हुए इस पर तय समय में निर्णय लेने को कहा है। साथ ही केंद्र को अपने फैसले की जानकारी याचिकाकर्ता संगठन को देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फैसले से असंतुष्ट होने पर संगठन दोबारा नई रिट याचिका के जरिए हाईकोर्ट का रुख कर सकता है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने अधिवक्ता रॉबिन राजू के माध्यम से दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग अधिनियम, 2023 के लागू होने और आयोग के सदस्यों व पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की ओर से आवेदन आमंत्रित किए जाने के बावजूद अब तक आयोग का गठन नहीं किया गया है।

अदालत के आदेश के मुताबिक, राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग अधिनियम, 2023 को पुराने इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जगह नया वैधानिक नियामक ढांचा तैयार करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य देशभर में नर्सिंग और मिडवाइफरी शिक्षा, प्रशिक्षण और पेशेवर कार्यों के लिए एक नया नियामक आयोग स्थापित करना था। अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम फरवरी-मार्च 2024 में लागू हो गए थे।

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–II, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग,
11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली–110001, ईमेल : sbi.50950@sbi.co.in, फोन : 011-43179557, 7087261921

ई–नीलामी बिक्री सूचना

"परिशिष्ट IV-क और II क", (नियम 8(6) और 6(2) का परन्तुक देखें) चल एवं अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 6(2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल एवं अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला, गारंटर और प्रत्याभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल एवं अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/गिरवी/प्रभारित का कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूतदाता, से प्रतिभूत लेनदार भारतीय स्टेट बैंक की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

कर्जदार / गारंटर(रों)/ कानूनी उत्तराधिकारी का नाम पता/पते सहित	नीलामी के अधीन गिरवी / प्रभारित / बंधक रखी गई संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) / वृद्धि राशि	वह सुरक्षित ऋण, जिसकी वसूली के लिए संपत्ति बेची जानी है।	सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय एवं प्राधिकृत अधिकारी का नाम	बोली आवेदन पत्र, केवाईसी दस्तावेजों, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की तिथि व समय और धरोहर राशि BAANKNET के माध्यम से	ई–नीलामी की तिथि / समय 10 मिनट प्रत्येक के आसीमित स्वतः विस्तार सहित
मैसर्स एक्जीमियस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स एसपीएस हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) उधारकर्ता, गारंटर एवं बंधककर्ता बी–4, 304, सहारा ग्रेस, एम.जी. रोड, सेक्टर–28, गुरुग्राम, हरियाणा – 122002। **इसके अलावा: BB मॉल, A-95 (A),**, फेज–I, तृतीय तल, इंडस्ट्रियल एरिया, नीलम चौक, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान – 301019। **अपने निदेशकों/गारंटरों के माध्यम से श्री संजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री बसंत लाल, निदेशक एवं गारंटर** बी–4, 304, सहारा ग्रेस, एम.जी. रोड, सेक्टर–28, गुरुग्राम, हरियाणा – 122002। **इसके अलावा:** ए–23, चतुर्थ तल, किबिथु होम्स, सेक्टर–47, गुरुग्राम, हरियाणा – 122018। **श्रीमती सविता नन्द्राजोग पत्नी श्री संजीव कुमार, निदेशक एवं गारंटर** बी–4, 304, सहारा ग्रेस, एम.जी. रोड, सेक्टर–28, गुरुग्राम, हरियाणा – 122002 **इसके अलावा:** ए–23, चतुर्थ तल, किबिथु होम्स, सेक्टर–47, गुरुग्राम, हरियाणा – 122018	**मैसर्स एक्जीमियस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स एसपीएस हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) की संपत्तियों की बिक्री, जो BB मॉल, A-95 (A), नीलम चौक इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित।** **संपत्ति का एक हिस्सा जिसमें कमर्शियल होटल स्पेस शामिल है:–** **(i) भूतल पर स्थित रिसेप्शन, जिसका सुपर एरिया 480 वर्ग फुट है।** **(ii) तृतीय तल पर स्थित बैंक्वेट हॉल, जिसका सुपर एरिया 9200 वर्ग फुट है।** **(iii) चतुर्थ तल पर स्थित होटल का ऐरिया, जिसमें रेस्टोरेंट, रसोईघर (किचन), जिम, बैक ऑफिस आदि सम्मिलित हैं, जिसका सुपर एरिया 10802.58 वर्ग फुट है।** **(iv) पंचम तल पर स्थित होटल के कमरे, जिनका सुपर एरिया 10200.00 वर्ग फुट है।** **(v) BB मॉल, A-95 (A), नीलम चौक, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, राजस्थान स्थित होटल परिसर की भूतल, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तल पर स्थित समस्त फर्नीचर एवं फिक्स्चर।** **(भौतिक कब्जे के अंतर्गत)**	₹ 14,02,00,000/- / ₹ 1,40,20,000/- / ₹ 10,00,000/-	₹53,28,85,560 (केवल तिरपन करोड़ अट्ठाईस लाख पचासी हजार पाँच सौ साठ रुपये) 31/07/2026 तक, साथ ही आगे का ब्याज और उस पर होने वाला खर्च	**22.09.2026** दोपहर 12.00 बजे से अपाह्न 04.00 बजे तक **प्राधिकृत अधिकारी: सुश्री सुशीला मंगले मुख्य प्रबंधक मो. 9717644500**	https://baanknet.com देखें / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 28.09.2026 शाम 5:00 बजे तक	**29.09.2026** दोपहर 12.00 बजे से अपाह्न 04.00 बजे तक 10 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार सहित

(i) श्रीमती सत्या, पत्नी श्री तरसेम लाल चौधरी। (ii) श्रीमती नीलम, पत्नी श्री शम्मी पॉल खुल्लर। (iii) श्रीमती वीना, पत्नी श्री राकेश कुमार चड्ढा। (iv) श्री संजीव कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री बसंत लाल। (स्वर्गीय श्रीमती शीला रानी, पत्नी स्वर्गीय श्री बसंत लाल के कानूनी उत्तराधिकारी) गारंटर : पता : बी–4, 304, सहारा ग्रेस, एम.जी. रोड, सेक्टर–28, गुरुग्राम, हरियाणा। **इसके अलावा:** ए–23, चतुर्थ तल, किबिथु होम्स, सेक्टर–47, गुरुग्राम, हरियाणा – 122018।

M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET) द्वारा प्रदान किए गए ई–नीलामी साइट **https://BAANKNET.com** पर बोलीकर्ताओं द्वारा ईएमडी को अपने स्वयं के बटुए(**wallet**) में हस्तांतरित/जमा करना होगा।

नियम व शर्तें:– ई–नीलामी "जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी।
ई–नीलामी **https://BAANKNET.com** लिंक के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, बोलीदाताओं को ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET)** की सेवा शर्तों का अनुपालन करना होगा।
इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व **M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET)** के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। **M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET)** के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।
अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छूक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। इस संदर्भ में ई–नीलामी विज्ञापन, बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता/वचनबद्धता निर्मित नही करता है और न ही कोई वचनवद्धता/प्रतिवद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा।
सफल बोलीदाता की **धरोहर राशि जमा (ईएमडी)** बिक्री प्राप्ति के भाग के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। **सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले अदा की गई ईएमडी समायोजित करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के बाद अर्थात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करनी होगी** तथा शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।
प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। यह ई–नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार की जायेगी। और आयकर/जीएसटी नियम, जहां भी लागू हों।
ई–नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईट पर प्रकाशित की गई है। **https://baanknet.com, www.sbi.co.in**

सरफासी ऐक्ट, 2002 के अधीन बिक्री हेतु कानूनी नोटिस

तिथि : 19.08.2026, स्थान : भिवाड़ी राजस्थान — **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**